| | |
|---|---|
| 5/12/19 | पत्रावली पेश हुई। ~~वकुलाव उप.~~/ कानी आकस्मिक अवकाश पर है; अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 9/12/19 को पेश हो। |
| 9/12/19 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाव कारिन्दा उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/03/20 को पेश हो। |
| 19/03/20 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाव कारिन्दा उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/05/20 को पेश हो। |
| 29/09/2020 | कोविड-19 संक्रमण के चलते पत्रावली पूर्व नियत ईकजाइ पेशी 1/12/2020 से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। सम्यक तामील बावजूद अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/9/2020 को पेश हो। |
| 30/9/2020 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र अपील नामान्तरकरण में अंकित तथ्यों दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 239 निर्णय दिनांक 05/04/2017 को अपास्त फरमाने का निवेदन किया।<br>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवम् प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या |

अधिकारी
सत्यमेव जयते
दांतारामगढ़ डाण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |

239 निर्णय दिनांक 05/04/2017 का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकील अपीलार्थी पर सगौर मनन किया गया।

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा तन ग्राम धर्मपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 6.65 हैक्टेयर में से रेकार्डड खातेदार काश्तकारों से जरिये पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक 03/08/2015 एवं 11/09/2015 से कुछ भूमि क्रय की थी जिसके नामान्तरकरण आवेदन पर हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जाँच नामान्तरकरण तस्दीक हेतु सरपंच ग्राम पँचायत रामपुरा को प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट कि "खसरा नम्बर पर कभी कोई काश्त नहीं हुई व आजमौके पर काश्त नहीं है" के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 05/04/2017 को अस्वीकार किया गया है।

जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के परिपत्र क्रमांक राम/भू: अ०/जी-3/प.-142/97/7/06-37 दिनांक 19/5/2004 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एल आर (रिकार्ड) नियम 133 (सी) के अनुसार —"पँजीकृत विक्रय पत्र मे प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा देने को अंकित कर देने पर यह नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी को कब्जे की जांच करना आवश्यक नहीं है। उसे विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करना बाध्यकारी है।"

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा उक्त बाध्यकारी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 239 को दिनांक 05/04/2017 को विधि विरुद्ध रूप से अस्वीकार किया है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 239 निर्णय 05/04/2017 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि विक्रय लेख दिनांकित 03/08/2015

उपखण्ड अधि... सत्यमेव जयते खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|

एवं 11/09/15 के नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार खण्डेला को उक्तानुसार पालना बाबत तहरीर आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनाँक 30/09/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/2020

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला, सीकर

Scanned by CamScanner